

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 02, सोमवार, शाके 1948- अगस्त 24, 2026 Bhadra 02, Monday, Saka 1948- August 24, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 04, 2025

संख्या प.9(81)राज-1/2025-27361:-राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व मण्डल अजमेर एवं जिला कलक्टर, बालोतरा से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि **बालोतरा जिले की तहसील सिवाना, सिणधरी, व गिडा** के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7में अंकित मजरों/ढ़ाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-9 के अनुसार है:-

क्र. सं.	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			नवीन राजस्व ग्राम का विवरण			दूरी K M	मूल ग्राम का शेष क्षेत्रफल (है. में)
			ग्राम का नाम	जनसंख्या 2011	क्षेत्रफल (है. में)	ग्राम का नाम	जनसंख्या 2011	क्षेत्रफल (है. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बालोतरा / सिवाना	मोकलसर / सिवाना	मोकलसर LG Code 087617	8027	4039.3591	आदर्श मोकलसर Aadars h Mokals ar	1744	1289.0094	5	2750.3497
2	बालोतरा /	कागोकी ढाणी /	डावलीना	295	891.0526	श्रीयादे नगर Shriyad	155	347.0639	2	305.9485

			Code 502079							
	सिण धरी	पायला	कागो की ढाणी LG Code 88111	785	1333. 8666	e Nagar				826.6 856
3	बालो तरा / गिडा	कसूम्ब लाभाटि यान / सिणधरी	कसूम्बला माहेचान LG Code 86902	589	1178. 4587	भारुओणी नगर Bharuo ni Nagar	201	284. 7443	2	893.7 144

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्राम एवं नवघोषित राजस्व ग्राम के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पृथक कर उनके संधारण हेतु जिला कलक्टर, बालोतरा को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्राम के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगे।

आज्ञा से,

हरि सिंह मीना,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।